

UPSC CSE 2019 MAINS PAPER 1 SEPTEMBER 20, 2019 ESSAY SOLUTION

Q.1 कृत्रिम बुद्धि का उत्थान: भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनरकौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सर्जन का अवसर

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी की मानवीय सभ्यता की भौतिक उन्नति और उसे सुख-सुविधाओं से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए कुछ विद्वान तो मानवीय सभ्यता के इतिहास को दो भागों में बांट कर देखते हैं—प्रथम प्रौद्योगिकी के आगमन के पूर्व की मानव सभ्यता एवं दूसरी इसके आगमन के पश्चात की सभ्यता। परंतु आधुनिक काल में जितनी प्रौद्योगिकी बढ़ती जा रही है उतनी ही चर्चा बढ़ती जा रही है कि प्रौद्योगिकी और मानव श्रम के बीच कौन सा संबंध स्थापित होगा? क्या प्रौद्योगिकी मानव श्रम को विस्थापित कर उसको बेरोजगार कर देगी या फिर उसको उच्च कौशल प्राप्त करके एक बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। उसी प्रकार की प्रौद्योगिकी “कृत्रिम बुद्धि” है। प्रत्येक नई वैज्ञानिक तकनीक जिनका संबंध विशेष रूप से मानव रोजगार से है उनके आने से मानव के मन में एक शंका उत्पन्न होने लगी है कि कहीं न कहीं यह तकनीक रोजगार के अवसरों को प्रभावित करेगी और इस कृत्रिम बुद्धि तकनीक से भविष्य में मानवीय जीवन में यह आशंकाएं उत्पन्न की जा रही हैं कि कहीं न कहीं यह तकनीक रोजगार के अवसरों को कम करेगी।

कृत्रिम बुद्धि से रोजगार के अवसरों पर संकट और मानव सभ्यता के अस्तित्व पर संकट की चर्चा से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि कृत्रिम बुद्धि आखिर क्या है? इससे जुड़े लाभ एवं हानि क्या हैं? इससे जुड़े खतरे कौन-कौन से हैं जिनकी वजह से मानवीय संकट की बात की जा रही है अर्थात् इसे एक मानवीय हितेषी तकनीक न मानकर इसकी पहचान एक विघटनकारी तकनीकी के रूप में की जा रही है।

कृत्रिम बुद्धि एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर जैसी मशीनों के माध्यम से कार्य करती है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण की एक तकनीक है। वर्तमान में मानव एक तकनीक युग में जी रहा है अर्थात् वैज्ञानिक तकनीक के बिना मनुष्य का जीवन आज के समय में अधूरा है। इन सभी प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धि अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इसे चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जिसने मनुष्य के जीवन यापन में, कार्य करने की क्षमता में तेजी से परिवर्तन लाया है।

कृत्रिम बुद्धि सामाजिक न्याय, जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि, एवं लोगों को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसी के साथ साथ यह मानव की अपेक्षा बिना थके अधिक देर तक काम करने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होगी साथ ही साथ बड़े-बड़े औद्योगिक कारखानों में जहां पर काम करते वक्त मनुष्य की जान को अत्यधिक खतरा होता है, वहां पर भी इस तकनीक के द्वारा सरलता से बिना कोई जोखिम

उठाए काम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कृत्रिम बुद्धि ने मेडिकल क्षेत्र में भी काफी उन्नति कर ली है, बड़ी-बड़ी सर्जरी में इसका प्रयोग किया जा रहा है और सफलता भी प्राप्त हो रही है। परिवहन के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जैसे कि स्वचालित ट्रेनों का परिचालन काफी मात्रा में बढ़ा है। इसी के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा भी ड्रोन के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इसका अभी हाल ही में एक उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, यहां पर अमेजन कंपनी ने ड्रोन के माध्यम से अपनी होम डिलीवरी की शुरुआत की।

कई बार आपात स्थिति में भी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करके लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। प्राकृतिक आपदा जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया एवं अमेजन के जंगलों में लगी आग को ड्रोन के माध्यम से काबू पाया गया, वहां पर मानव का पहुंचाना खतरे से खाली नहीं था।

उपरोक्त लाभ देखते हुए लगता है कि कृत्रिम बुद्धि तकनीक मानव के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, परंतु अन्य प्रौद्योगिकी की तरह कृत्रिम बुद्धि विकास भी विवादों से घिरा हुआ है। अन्य तकनीक की तुलना में कृत्रिम बुद्धि के साथ अनेक समस्याएं और चुनौतियां हैं क्योंकि अन्य तकनीक की नियंत्रण तो मनुष्य के हाथों में था, परंतु कृत्रिम बुद्धि तकनीक में मानव के समान इसका अपना मस्तिष्क होता है, वह मानव के अनुभवों से सीख सकता है। इस तरह से कृत्रिम बुद्धि का विकास स्वतंत्र रूप से होगा। हो सकता है कि भविष्य में वह मनुष्य को अपना शत्रु समझ ले और मनुष्य के लिए ही खतरा बनकर पैदा हो जाए अर्थात् कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानव के लिए अनेक संकटों का कारण बन सकता है।

उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव भविष्य में बेरोजगारी पर पड़ेगा, इसके संचालन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। इसके आने से मजदूर से लेकर उच्च गुणवत्ता कौशल वाले व्यक्ति के रोजगार को खतरा बढ़ सकता है अर्थात् कृत्रिम बुद्धि छोटे स्तर पर भी रोजगार के क्षेत्र में अपना असर दिखाएगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अब रोबोटों की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि रोबोट बिना रुके लंबे समय तक लगातार कार्य करता रहता है, जिससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मनुष्य की अपेक्षा अत्यधिक फायदा होता है। इसी के साथ मनुष्य से काम करवाने पर ऑटोमोबाइल मालिकों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है; जैसे वेतन न बढ़ने पर हड़ताल करना, इस प्रकार की समस्याएं रोबोट से कार्य कराने पर उत्पन्न नहीं होती, परंतु मनुष्य का रोजगार छिन जाता है। “इंटरनेशनल फंडेशन ऑफ रोबोटिक्स” की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई वर्षों में रोबोटों की वार्षिक बिक्री दर लगभग 110 से 115% बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स के आने से विश्व में रोजगार में 1.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। अन्य वैश्विक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2030 तक रोबोटिक्स के कारण एवं स्वचालन के कारण लगभग विश्व में 30% मानवीय रोजगार कम हो जाएगा। इसीलिए लोगों को इन रोबोटिक्स के साथ काम करने के लिए नए कुशल तकनीक को सीखने की आवश्यकता है। यह आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय

में मनुष्य का भविष्य रोजगार वहीं न होने वाला है। भविष्य में इसके आने से अर्थशास्त्र के नियम पलट जाएंगे अर्थात् मानवीय श्रम एवं रोजगार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

भारत जैसा देश जहां वर्तमान समय में रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है और साथ ही भारत एक सबसे घनी युवा आबादी वाला देश है तो उसके लिए यह समस्या और गंभीर रूप ले लेगी।

परंतु, उपरोक्त व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं होगा कि कृत्रिम बुद्धि एक अभिशाप है। इसके लिए एक विवेकशील एवं तर्कसंगत मत को अपनाने की आवश्यकता है। जो प्रौद्योगिकी मानवीय दशा एवं दिशा को बदलने की क्षमता रखती है उसको केवल कुछ ठोस प्रमाण के आधार पर पूर्णता खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि यह स्पष्ट है कि अन्य तकनीक के मुकाबले कृत्रिम बुद्धि तकनीक अधिक गंभीर है। परंतु प्रत्येक संकट के मूल में एक रोजगार छिपा होता है तो उसको ही खोजने की जरूरत है। कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग इस प्रकार से करना होगा ताकि मानव के रोजगार पर इसका कम से कम असर पड़े और सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होगी जो अकुशल श्रमिक है, उनके रोजगार को यह बिल्कुल भी प्रभावित न करें।

इसकी तकनीक एवं कार्य करने की क्षमता को देखते कौशल एवं उच्च कौशल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि कर्मचारियों को इसके माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

हमें अपने अतीत में भी देखना होगा क्योंकि जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आई थी तो कई स्थानों पर इसका विरोध इसी आधार पर किया गया था कि यह भविष्य में लोगों को बेरोजगार कर देगी। परंतु इसका एकदम विपरीत प्रभाव देखने को मिला इसके आने से सभी देशों को कुशल रोजगार उत्पन्न हुए। अतः अधिकतर विद्वानों का मत है कि नवीन तकनीक के आने से दीर्घकाल में रोजगार पर संकट उत्पन्न नहीं होता, अपितु कार्य करने की प्रवृत्ति एवं लोगों की भूमिका में बदलाव आ जाता है। ऐसा ही परिणाम कृत्रिम बुद्धि के रूप में देखने को मिलेगा।

स्कूल एवं कॉलेजों के स्तर पर बच्चों को इससे परिचित कराना होगा तथा साथ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा जिससे कि भविष्य में कर्मचारियों को समय-समय पर उच्च कौशल प्राप्त किया जा सके। साथ ही नई-नई कार्यशाला का आयोजन करना होगा जिससे कि मनुष्य इस क्षेत्र में चेतना के साथ आसानी से स्थानांतरित हो सके, इसके लिए सरकार, कंपनी एवं कर्मचारियों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी के साथ-साथ एक उच्च कौशल एवं पुनरकौशल के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करा सकता है। प्रत्येक नवीन तकनीक की शुरुआत में चुनौती होती है, इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धि के समक्ष भी एक चुनौती है, परंतु इससे उच्च कौशल के माध्यम से अन्य तकनीकों की तरह निपटा जा सकता है एवं मानवीय रोजगार को इसी के अंदर खोजा जा सकता है और इसी के अंदर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। यह मानव के विवेक पर निर्भर करता है कि इस चुनौती को अवसर के रूप में बदल पाता है या नहीं।

Q.2 दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के तीन-बाने से बने हैं

समाज एवं संस्कृति

पूरे विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अनेक समाज समाहित हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग पहचान एवं संस्कृति शामिल है। पूरा विश्व अलग-अलग समाजों में विभाजित है। विश्व के समाजों की चर्चा के दौरान दक्षिणी एशियाई समाज की चर्चा करना भी अपरिहार्य हो जाता है।

दक्षिण एशिया में लगभग पूरे विश्व की एक चौथाई जनसंख्या निवास करती है, जिसका विस्तार हिमालय की गोद से लेकर हिंद महासागर तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस दक्षिणी एशियाई समाज में भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान एवं मालदीव की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां एवं पहचान को सम्मिलित किया जाता है। ज्ञात है कि दक्षिणी एशिया विश्व के सर्वाधिक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। अतः इस क्षेत्र की बहुलता को एक खांचे में समाहित करना काफी कठिन कार्य है। यह क्षेत्र अपने आप में संस्कृतियों और पहचानों का अनूठा बिंदु है जो भाषा, धर्म क्षेत्र वह नस्ल की विविधताओं के बावजूद एक और जहां काफी समानता धारण किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें काफी असमानताएं निहित हैं। समानता एवं असमानता का यही गुण इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र की खूबसूरत संस्कृति को अपने विभिन्न रूप में लपेटे हुए हैं।

इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विभिन्नता एवं समानता को अगर भौगोलिक रूप में देखे तो हिमालय, कैलाश व हिंदू कुश पर्वतों की शृंखला में बसे भारत, नेपाल, भूटान एवं पाकिस्तान में एक समान मौसमी दशाएँ होने के कारण समान खानपान एवं वेशभूषा दिखाई देती है। इसी प्रकार दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के मैदान, पठार एवं मरुस्थलीय भाग व अनेक द्वीपीय क्षेत्र इस भू-भाग की सौंदर्य को और बढ़ाते हैं तथा साथ में गंगा, ब्रह्मापुत्र एवं सिंधु जैसी सदानेरा नदियां जो एक देश से दूसरे देश में अविरल बहती रहती हैं, इस क्षेत्र की सौंदर्य में और चार चांद लगा देती हैं।

अगर दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहलू की बात की जाए तो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलकर उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहलू की बात की जाए तो इसका उत्थान एवं पतन दोनों भारत एवं पाकिस्तान में सम्मिलित रूप से हुआ। भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का उत्थान हुआ जो लगभग पूरे दक्षिणी एशियाई देशों में फैला और वहां की धार्मिक सांस्कृतिक को भी प्रभावित किया।

बौद्ध धर्म को श्रीलंका में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने प्रचारित एवं प्रसारित किया। वहीं भारत का नेपाल के साथ रोटी-बेटी का संबंध माना जाता है। वही हिंदू धर्म के ग्रंथ “रामायण” के प्रसंगों में श्रीलंका एवं नेपाल का दृश्य देखे जा सकते हैं। वही खैबर दर्रे से अरब तुर्क मंगोल आक्रमणकारियों का आगमन हुआ जोकि मुस्लिम अनुयाई थे। वही शक-कुषाण-हुण आदि विदेशी आक्रमणकारी भी आए जो यहीं पर आकर इसी जमीन के हो गए।

इन सबके बावजूद यहां पर अनेक जाति संघर्ष भी हुए जो लगभग कई देशों में आज के समय में भी देखने को मिलते हैं; जैसे—हिंदू धर्म में जाति प्रथा आज भी काफी उच्च स्तर पर दिखाई पड़ती है। वहीं पाकिस्तान में बलोच, पश्तून, समाज में संघर्ष जारी है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां भी विभिन्न नृजातीय समूह व तालिबान जैसे उग्रवादी संगठन के साथ संघर्ष जारी है। वहीं मुस्लिम समुदाय का शिया, सुन्नी, अहमदी वर्गों में विभाजित हुआ है। इस तरह के संघर्ष संबंधित देश के की सांस्कृतिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं।

जहां तक यह क्षेत्र अपने आप में अपार सांस्कृतिक परंपराएं समेटे हुए हैं; जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एशियन, नीग्रोइड, मंगोलॉयड, विभिन्न नस्लों को अनेकता के साथ संगम देखने को मिलता है जो विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों, भाषाओं, वेशभूषा में अपनी परंपरा को समेटे हुए हैं। इस क्षेत्र की भाषाई विविधता एवं उसके तमाम पहलुओं पर नजर डाले तो दक्षिणी एशियाई समाज इस क्षेत्र में काफी धनी रहा है। यहां विश्व की प्राचीनतम से प्राचीनतम भाषा देखने को मिलती है जैसे भारत में तमिल व संस्कृत को प्राचीनतम भाषा में सम्मिलित किया है। भारत में हर राज्य की भाषा अलग पहचान कराती रही है। वहीं पाकिस्तान में भी सिंधी, उर्दू, पश्तो आदि भाषा का प्रयोग भारत जैसा ही होता है। वहीं नेपाल में हिंदी व पहाड़ी भाषाओं का अनूठा संगम है। वहीं श्रीलंका में तमिल भाषा का प्रयोग होता है जो स्थानीय लोगों की पहचान कभी भी एक माध्यम है। परंतु इस जातीय एवं भाषाई पहचान ने कहीं कहीं पर संघर्ष का रूप लिए हुए हैं; जैसे पाकिस्तान का बलोच, सिंधी, पश्तो संघर्ष हो या जम्मू कश्मीर में लोगों में जनांकिकीय परिवर्तन की चिंता व तमिलनाडु की तमिलों को श्रीलंका के तमिलों से जोड़ने का प्रयास कहीं न कहीं यह सब एक जातीय एवं भाषाई संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं।

खानपान के मामले में भी दक्षिणी एशियाई समाज में पूरे क्षेत्रों में मसालों एवं जायकों से काफी लगाव रहा है, लेकिन भौगोलिक विविधता के कारण खानपान में भी विविधता पाई जाती है। कहीं-कहीं पर शाकाहारी भोजन को वरीयता दी जाती है तो कहीं-कहीं पर मांसाहारी भोजन को वरीयता दी जाती है। इसके संबंध कुछ स्थानों पर धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में खानपान को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से वेशभूषा वह पहनावा का प्रभाव एक दूसरे की संस्कृति पर देखा जा सकता है जहां धोती कुर्ता, सलवार कमीज, लूंगी न केवल विभिन्न विविधताओं को दर्शाते हैं, बल्कि भौगोलिक महत्व को भी दर्शाते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संपूर्ण दक्षिणी एशियाई समाज कई स्तरों पर विविधता धारण किए हुए हैं। इसी विविधता के लक्षणों में यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इन सभी दक्षिणी एशियाई समाजों ने अपने आप को किसी केंद्रीय सत्ता या राजनीतिक सांस्कृतिक के इर्द-गिर्द इकट्ठा

न करके अपनी पहचान व संस्कृति के ताने-बाने में बना है। यह कभी भी एक राजनीतिक सत्ता के दायरे में फिट नहीं हुई। इसके विपरीत अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन देशों के बनने का एकल आधार रहा है वह है—भाषा। भाषा के आधार पर अनेक यूरोपीय देशों का निर्माण हुआ है। इसके विपरीत 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था, वह भी 1971 आते आते भाषा के आधार पर अलग हो गया। इस घटना से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक हस्तक्षेप से किसी समाज एवं सांस्कृतिक पहचान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

दक्षिण एशिया में सत्ता के सांस्कृतिक हस्तक्षेप के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जब श्रीलंका में तमिल भाषी व सिंहाली भाषी समुदायों पर ब्रिटिश सत्ता ने नियंत्रण कर अपने हिसाब से संचालन करने की कोशिश की तो इसका परिणाम श्रीलंका गृह युद्ध के रूप में सामने आया। वहीं जब ब्रिटिश लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत में हिंदू मुसलमानों को धर्म के आधार पर टकराव पैदा किया तो इसका परिणाम धर्म के आधार पर विभाजन मिला। इस विभाजन ने इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था कि कई वर्षों की गुलामी के बाद मिली आजादी का जश्न भी फीका कर दिया था और वहीं महात्मा गांधी को हिंसा को रोकने के लिए उपवास पर बैठना पड़ा।

परंतु दिसंबर 1971 में यह सिद्ध हो गया कि केवल धार्मिक पहचान दक्षिण एशिया में राष्ट्र के निर्माण का आधार नहीं बन सकती क्योंकि जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला संस्कृति का दमन करने के लिए सेना भेजी तो इसके विरोध में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी प्रकार 2015 में नेपाल में मधेसी संकट देखने को मिला, जिनको वहां के संविधान में अपनी भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान न मिलने के कारण उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किए।

अतः संपूर्ण चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दक्षिण एशिया की बहु-सांस्कृतिक पहचान अपने आप में अद्वितीय है। इस क्षेत्र की राजनीतिक सत्ताएँ तभी सफल हो सकती हैं, अगर वह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करें और अगर यह ऐसा करने में यह सफल नहीं होतीं तो भारत पाकिस्तान जैसा विभाजन, श्रीलंका गृहयुद्ध और नेपाल में मधेसी संकट जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। दक्षिण एशिया में भारत की बात की जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया में अपनी सांस्कृतिक पहचान को आज भी सबसे अलग बनाए हुए है। भारत में अगर सांस्कृतिक संघर्ष हुए भी तो उनका समाधान भारत ने बड़ी निपुणता के साथ किया। अतः कोई भी राजनीतिक सत्ता न तो इसकी स्थिति बदल सकती है, न इसकी पहचान बदल सकती है।

Q. 3 पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है

मीडिया

“जिस पल में हमारे पास स्वतंत्र मीडिया नहीं है कुछ भी हो सकता है, एक अधिनायक वादी या किसी भी अन्य तानाशाही शासन के लिए यह संभव है कि लोगों को सूचित न किया जाए”।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है की मीडिया किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए उसकी रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत के लोकतंत्र के समक्ष अनेक खतरे हैं, परंतु लोकतंत्र की भावनाओं पर जो सीधे तौर पर आघात करता है वह है—मीडिया। मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। इस मीडिया में अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और फिल्म शामिल हैं। अगर हम इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन आज के परिपेक्ष में करें तो कहीं न कहीं यह एक पक्षपातपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है और इसका हर एक पक्षपात हमारे लोकतंत्र को पीछे धकेलता है।

मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और अगर यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी भेदभाव के काम न करे तो इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ जाती है।

लोकतंत्र में राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको लोकतंत्र की जननी समझा जाता है और राजनीति का संबंध सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से जुड़ा होता है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के मुद्दे एवं उनके कार्यों को मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया जाता है और अगर मीडिया इस कार्य में अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से न निभाए तो यह कहीं न कहीं जनता के साथ पक्षपात होगा, जिससे वे चुनाव में निष्पक्ष होकर अपने मतदान का प्रयोग एक अच्छे राजनीतिक दल को नहीं कर सकते क्योंकि आज के समय में अधिकतर मीडिया राजनीतिक दलों की चाटुकारिता की भूमिका में नजर आती है। पक्षपाती मीडिया या पत्रकार सत्ताधारी राजनीतिक दल के हर कदम और निर्णय को सही दर्शाता है और कभी भी उनके गलत कार्यों की आलोचना नहीं करता। इससे लोकतंत्र या देश को नुकसान होता है क्योंकि आलोचना ही लोकतंत्र की रीढ़ है। आलोचना सरकार को सही रास्ते पर बनाए रखती है, इसीलिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं बार मीडिया चुनावों को भी प्रभावित कर देती है। चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल के पक्ष में चुनावी सर्वे दिखाकर मीडिया मतदाताओं के दिमाग को पलट देती है और मतदाता चुनाव में प्रभावित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कौन

जीतेगा या कौन हारेगा इसको भी तय करने में मीडिया की भूमिका होती है क्योंकि किसी राजनीतिक दल की छवि का निर्माण करना और उसको खराब करना जैसी यह ताकत मीडिया के पास ही होती है, वैसे किसी सामाजिक संगठन के पास नहीं। इसीलिए सभी राजनीतिक दल मीडिया को अपने पक्ष में झुकाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

अगर मीडिया सत्ता पक्ष में आकर उसी के कार्य को गुणगान करने लगे तो इससे राजनीतिक दल द्वारा किए गए सही गलत कार्यों का भेदभाव नहीं हो सकेगा, जिससे जनता के पास सही सूचना ने पहुंचकर किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में किए गए सभी कार्यों की ही सूचना पहुंचेगी यह जनता के साथ छल होगा।

अगर हम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर राजनीति की बात करें तो कई बार यह आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा अखबार या कौन सा न्यूज चैनल किस दल के पक्ष में हैं, वह किसके विरुद्ध है। कुछ न्यूज चैनल तो राजनीतिक दल के काफी नजदीक दिखते हैं और कुछ न्यूज चैनल काफी दूरी बनाए रखते हैं।

केवल किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना ही किसी मीडिया के लिए पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होता, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल की हद से ज्यादा आलोचना करना भी पक्षपातपूर्ण रवैया के अंतर्गत आता है। कई न्यूज चैनल तो 24 घंटे किसी एक राजनीतिक दल का गुणगान करते रहते हैं, इसके विपरीत कई न्यूज चैनल उसी राजनीतिक दल के 24 घंटे आलोचना में निकल जाते हैं, यह दोनों प्रकार का रवैया किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा ही है।

किसी भी लोकतंत्र में सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी लोकतंत्र की अपनी पहचान होती है। आज के समय में मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से भी अछूता नहीं रहा है।

समाज का मतलब है समाज में रहने वाले सभी धर्म के, सभी नस्ल के एवं सभी लिंग के सदस्यों का लोकतंत्र में बराबर की भूमिका होती है और यह भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए अति आवश्यक भी है। परंतु आज के समय में पक्षपातपूर्ण मीडिया ने समाज के कई वर्गों को नीचा दिखाने की कोशिश की है जैसे कि कई फिल्मों में कुछ वर्गों को मजाक के तौर पर दर्शाया गया है; जैसे थर्ड जेंडर एवं ट्रांसजेंडर इनको फिल्मों में समाज से अलग एवं मजाक का माध्यम बनाया गया है। कई बार मौका मिलते ही सिख समाज के लिए व्यंग के बाण छोड़े गए हैं। कई बार महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है एवं महिलाओं को सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए ही दिखाया गया है।

आर्थिक लोकतंत्र भी पक्षपातपूर्ण मीडिया की वजह से खतरे में रहता है। मीडिया के अधिकतर कर्मचारी एवं मीडिया मालिक कारपोरेट घराने से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए यहां पर राजनीतिक एवं कारपोरेट घराने की एक तुकलक बंदी नजर आती है जोकि एक दूसरे के हित साधने में लगे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मीडिया के लोग अपना एवं राजनीतिक हित साधने के लिए गांव की समस्याएं: किसानों की आत्महत्या; बेरोजगारी; आदि मुद्दे को अपने

न्यूज चैनल में कोई वरीयता नहीं देते। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अधिकतर मीडिया कर्मी बड़े-बड़े शहरों से संबंध रखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में से इनके कवरेज को जगह नहीं मिल पाती।

टीआरपी की दौड़ में अधिकतर मीडिया घरानों ने एक कारपोरेट मोड़ ले लिया है, मीडिया हाउस के सौजन्य से उन्होंने अनेक लोगों को रातों-रात सेलिब्रिटी बना दिया है। जो समाचार ज्यादा टीआरपी जनरेट करते हैं उनको अधिक बार दिखाया जाता है जबकि उल्लेखनीय समाचारों को उपेक्षित कर दिया जाता है; जैसे कई क्षेत्रों में आई बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि समस्याएं मीडिया के लिए कवरेज नहीं बन पातीं।

हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय मीडिया को इस बात की ओर संकेत किया है कि “एक उत्साही लोकतंत्र के लिए चर्चा और असंतोष महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक संस्थानों को उनके सभी कार्यों और आयके लिए जवाबदेह होना चाहिए, हमेशा तर्कशील भारतीय के लिए स्थान होना चाहिए, न की पक्षपात पूर्ण भारतीय के लिए मीडिया को नेताओं और जनता के बीच मध्यस्थ होना चाहिए।”

हालांकि पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, परंतु उसका यह प्रभाव ज्यादा अहमियत रखता है कि पक्षपात किस परिपेक्ष में किया जा रहा है; जैसे कि मेट्रो, बसों, इत्यादि में महिलाओं के लिए अलग से कोच रिजर्व होते हैं वहां पर पक्षपात सकारात्मक दिशा में होता है, परंतु यह तब बुरा होता है जब किसी को सोची समझी साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक भेदभाव व आरक्षण की संपूर्ण नीति के मूल में यही बुनियादी तर्क है कि वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए कई बार सकारात्मक पक्षपात जरूरी है। हमारे मीडिया का कुछ ऐसा हिस्सा भी है, जिन्होंने फिल्म के माध्यम से समाज के कई वंचित वर्गों की समस्याओं को फिल्मों में दर्शाया है जैसे कि “आर्टिकल 15” जैसी फिल्म दिखाती है कि समाज में वंचित वर्ग का किस प्रकार से शोषण किया जाता है, वहीं “मुल्क” जैसी फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। इस तरह के पक्षपात को हम बुरा नहीं कहेंगे जोकि समाज के वंचित वर्ग की तस्वीर दुनिया के सामने लाता है और फिर उसको सुधारने की गुंजाइश पैदा करता है।

इस संपूर्ण परिचर्चा से यह पता चलता है कि लोकतंत्र चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, उसमें लोगों की भागीदारी इसी बात से प्रभावित होती है कि मीडिया समाज के सामने उसकी कैसी तस्वीर पेश करता है। अगर मीडिया समाज के वंचित वर्ग, किसान, महिलाओं आदि की समस्याओं को स्वतंत्र रूप से रखता है तो देश का समावेशी विकास निश्चित होगा और वही अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य न करके पक्षपात पूर्ण रवैया से कार्य करता है तो जाहिर सी बात है, संपूर्ण लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। मीडिया का पक्षपात पूर्ण रवैया अत्यंत चिंता योग्य है यदि समय रहते इस रवैया पर आत्ममंथन नहीं किया जाता तो वह दिन दूर नहीं, जब हम अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में होंगे और आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिदा महसूस करेंगे।

Q.4 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण हैं

शिक्षा/स्वास्थ्य

किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने और कमजोर होने के अनेक कारण होते हैं, जिनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी देश को मजबूत बनाने के लिए मजबूत लोगों का एक समूह होता है इस समूह में डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक, नौकरशाह, राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, फिल्मकार, वकील, पत्रकार, किसान, एवं मजदूर आदि की भूमिका होती है अर्थात् एक व्यापक वर्ग देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र में यह वर्ग एकाएक तैयार नहीं हो जाता, इसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, एवं आर्थिक रूप से तैयार करने के लिए अनेक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनमें से स्वास्थ्य एवं शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है।

बचपन वह समय होता है जब बच्चे को स्वास्थ्य एवं देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ताकि उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। बचपन की परवरिश ही यह दिशा निर्धारित करती है की उस बच्चे का भविष्य किस दिशा में जाएगा। उसके रुझान और क्षमताओं को समझने के लिए उस पर सर्वाधिक शैक्षणिक निवेश करने की जरूरत होती है जिससे कि उसकी नींव मजबूत हो सके। परंतु यह एक दुर्भाग्य की बात है कि देश में प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य की हालत कमोबेश एक जैसे और बदतर है। किसी भी देश के लिए उसके नागरिक सबसे ज्यादा मूल्यवान संसाधन होते हैं जो उस देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं तो इन मूल्यवान संसाधन को अधिक बेहतर बनाने के लिए किसी भी देश को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि उस राष्ट्र को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके।

शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। यह पूर्ण रूप से सत्य है कि कोई भी देश शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके ही आर्थिक सामाजिक सूचकांकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के बिना विकास की संकल्पना अधूरी है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है तथा इसकी बढ़ती हुई लगातार जनसंख्या को देखते प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना इसके लिए एक समस्या का कारण हो सकता है। देखा जाए तो हाल ही के समय में भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं ढांचागत स्तर पर काफी प्रगति हुई है, जिसके चलते देश की विकास दर तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों की तरक्की के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है, परंतु यह विकास काफी नहीं है, इससे शिक्षा

व्यवस्था की मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की बात की जाए तो वैश्विक पटल पर बहुत से संस्थान वैश्विक स्तर पर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की सूची जारी करते हैं; जैसे “टाइम्स हायर एजुकेशन” के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के सिर्फ 5 शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच आज भी बहुत ज्यादा लोगों की पहुंच से बाहर है। शिक्षा के सभी स्तरों जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तथा उच्च शिक्षा में आज भी आम नागरिकों की समान और आसान पहुंच नहीं हो सकी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बाद भी आज भी भारत में शिक्षा कुछ सीमित वर्गों तक ही अपनी पहुंच बना पाई है। भारतीय संविधान में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है उसके बावजूद भी शिक्षा हमारे देश में सभी लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति नाममात्र ही है। इसके अनेक कारण हैं एक तो कई राज्यों में स्कूलों तक पहुंचने के बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं और हमारे देश में स्कूलों की उपलब्धता भी बहुत कम है तथा स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है एवं सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने की पहल आदि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती बनकर उभरी है। जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूलों और कॉलेजों की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चे उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती उसके गुणवत्ता की भी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का स्तर बहुत ही कमजोर है, पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता की कमी, बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षा प्रबंधन की कमी, अच्छे शिक्षकों की कमी, प्रति हजार बच्चों पर शिक्षकों की उपलब्धता कम, प्रशिक्षण का निम्न स्तर और स्कूल प्रशासन जैसी अनेक समस्याएं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली शोधपूर्ण होने के बजाय सैद्धांतिक एवं अव्यावहारिक अधिक है। हमारे यहां सीखने के बजाय रटने की प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सबसे ज्यादा ध्यान अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने पर होता है। विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की नवीन गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में उलझा कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अत्यधिक ध्यान रहता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली को कहीं न कहीं भारतीय समाज में फैली असमानता भी प्रभावित करती हैं। असमानता के चलते आज भी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं है। मिड डे मील पर किए गए एक सर्वे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि अधिकतर गरीब बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए ही स्कूल में आते हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सरकार के द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बाद भी कोई संतोषजनक सुधार होता नहीं दिखाई दिया। लगातार शिक्षा के बजट में हो रही कटौती भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिस पर सरकार

को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए “पीपीपी” मॉडल को अपनाने की जरूरत है।

अगर भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यह भी एक गंभीर समस्या है। आजादी के 70 साल बाद भी हम स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई खास कदम नहीं उठा पाए, हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में काफी काम तो किया है, लेकिन वह हमारे देश की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर काफी नहीं है।

स्वास्थ्य भारतीय संविधान में राज्य सूची में शामिल है, यानी कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने राज्यों में नागरिकों को सस्ती एवं सुविधा पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, हालांकि सरकार द्वारा अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसका काफी अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला है; जैसे कि टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, आदि कार्यक्रमों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में जनसंख्या के आधार पर सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर आज भी भारत में प्रति हजार आबादी पर एक डॉक्टर का होना आवश्यक है जोकि इसको पूरा करने में अभी भी हम असमर्थ हैं। एक तो भारत में मेडिकल कॉलेजों की बहुत भारी कमी है और दूसरी तरफ डॉक्टर बनना काफी महंगा होता है। अधिकतर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत नहीं होते, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी किल्लत है। बहुत सी महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तपेदिक, खसरा, कालाजार, हैजा, डारिया जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी बदलती जीवन शैली के अनुसार अनेक लोग शुगर, हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं।

भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा महंगी साबित हो रही हैं जो कि भारत में आम लोगों की पहुंच से बाहर है।

देश में अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति की है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के आधार पर इसको काफी नहीं माना जा सकता। अगर भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा होना है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में और भी अधिक वैज्ञानिक तरीके से प्रगति करने की आवश्यकता है ताकि आए दिन समाचार पत्रों में दिखाई देने वाली खबर जैसे कोई व्यक्ति कंधे पर मरीजों को बैठाकर दुर्गम क्षेत्रों से स्वास्थ्य केंद्रों तक लाता है, इन सब से निजात पाई जा सके।

विस्तार में कहा जाए तो भारतीय व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर मजबूती से और वैज्ञानिक तरीके से विस्तार करने की जरूरत है ताकि हमारी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में इनकी कमजोरी आधार न बने।

Q.5 मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए

दर्शन

“आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है।”

— महात्मा गांधी

गांधीजी द्वारा कही गयी उपर्युक्त बात से स्पष्ट है कि कोई भी मूल्य प्रारंभ में एक व्यक्तिगत आदत होता है जो कालांतर में सामाजिक व्यवहार बन जाता है और उसी के आधार पर संपूर्ण समाज का व्यवहार निर्धारित होता है। मूल्यों की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अपने-अपने तरीके से होती है। अर्थशास्त्र में मांग के आधार पर, नीतिशास्त्र में उचित और अनुचित के आधार पर तथा सौंदर्यशास्त्र में सुंदर और कुरूप के आधार पर मूल्यहीन और मूल्यवान का निर्धारण किया जाता है, लेकिन मानवता के संदर्भ में मूल्यों का संबंध नैतिक आदर्शों जैसे शांति, न्याय, सहिष्णुता, इमानदारी इत्यादि से होता है। वर्तमान में हम एक अत्यंत भौतिकवादी संसार में जी रहे हैं जहां शांति तो है लेकिन बिना समृद्धि के, सफलता तो है लेकिन बिना आनंद के। आज व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण उसकी संपत्ति से होता है, भौतिक संपत्ति के समक्ष व्यक्ति के नैतिक और माननीय कार्यों को कम महत्व दिया जाता है।

केवल मानव पर ही नैतिकता के नियम लागू होते हैं क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है और अपने अलावा दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है। लेकिन वर्तमान में मानवता नैतिकता से दूर होती जा रही है, आज मानव का एकमात्र उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना मात्र है, समाज पूर्व में प्रचलित ‘सर्वे भवंतु सुखिनः’ के मंत्र को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं ‘सिर्फ मैं और मैं’ की धारणा ने समाज से प्रेम, भाईचारा, सहयोग आदि जैसे मानवीय मूल्यों को विघटित कर दिया है। मानवीय मूल्यों में विघटन के कारणों की ओर देखा जाए तो अति भौतिकता इसके लिए प्रमुख कारण नजर आता है, जिसमें मानव को किसी भी कीमत पर अधिकतम सुख चाहिए इसके लिए वह किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार है और इसी के परिणामस्वरूप शोषण जैसी समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं और समाज में कई वर्गों का निर्माण हो गया है और इन वर्गों के मध्य खाई अधिक गहरी होती जा रही है।

“प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं को पूरा पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसकी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं।”
 — महात्मा गांधी

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि यदि मानव पर्यावरणीय मूल्यों के अनुसार आचरण करते हुए केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करे तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आज मनुष्य पर्यावरण की चिंता किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन करता जा रहा है जिसके कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। पर्यावरणीय नैतिकता के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवों को जीने का अधिकार है, लेकिन जैसा की विदित है कि पृथ्वी पर कई प्रजातियां मानवीय लोभ के कारण विलुप्त हो चुकी हैं, अगर मानव का व्यवहार नहीं बदला तो एक दिन समस्त पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर केवल मानव प्रजाति ही शेष रह जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग सतत विकास जैसे मूल्यों को अपनाएं व अति भौतिकता को त्याग कर आत्मसंतोष के मूल्य का आचरण करें, जिससे मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताएं तो पूर्ण हो ही जाएंगी साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

एक आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव व शोषण न हो, सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो तथा किसी को भी अनुचित विशेषाधिकार प्राप्त न हो। लेकिन भारतीय समाज के साथ-साथ पाश्चात्य समाज में भी प्राचीन काल से ही भेदभाव व शोषण जैसे नकारात्मक मूल्य विद्यमान रहे हैं। हालांकि पश्चिम में पुनर्जागरण के बाद धर्म के आधार पर शोषण लगभग समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद रूपजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने आर्थिक शोषण को बढ़ावा भी दिया। वहीं भारतीय समाज में जाति के आधार पर शोषण लंबे समय से होता आया है और कुछ क्षेत्रों में यह आज भी विद्यमान है। साथ ही समाज में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जा ही दिया गया और उन्हें केवल उपभोग की वस्तु ही माना गया। आज भी कुछ रूढ़िवादी लोग लैंगिक भेदभाव जैसे नकारात्मक मूल्यों से ग्रसित हैं और महिलाओं की भूमिका केवल ग्रहणी तक ही सीमित मानते हैं, उन्हें पढ़ने-लिखने, नौकरी-व्यवसाय आदि के योग्य नहीं मानते। यदि इस प्रकार के सामाजिक शोषण और भेदभावों को समाप्त करना है तो समाज को संविधान में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक न्याय जैसे मूल्यों को अपनाना होगा और उन्हें अपने अंतःकरण में समाहित करना होगा तभी मानवता इन समस्याओं से निजात पा सकती है। वर्तमान में विश्व भर में फैली धार्मिक कट्टरता का कारण धर्म की गलत व्याख्या और बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार है; जैसे किसी धर्म विशेष के लोगों द्वारा अन्य धर्म की मान्यताओं को निषिद्ध मानकर उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया जाना। धार्मिक उन्माद और कट्टरता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संपूर्ण मानवता को 'वसुधैव कुटुंबकम्' जैसे मूल्यों को अपनाना होगा। मानव को केवल मानवता की दृष्टि से देखने पर किसी भी प्रकार के धार्मिक संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा।

वर्तमान समय में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या यह इंगित करती है कि पारिवारिक मूल्यों में पहले की अपेक्षा अधिक गिरावट आ गई है क्योंकि समाज में एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है जिसमें परिवार को केवल पति-पत्नी और बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकल परिवार के चलन के कारण परिवार के सदस्य माता-पिता या अन्य वृद्धों को वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। इसके कारण वृद्धों की समस्याएं तो बढ़ती ही हैं, साथ ही परिवार में उन नैतिक मूल्यों का समावेश नहीं हो पाता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वृद्ध जनों द्वारा परिवार के छोटे बच्चों को कहानी-किस्सों के माध्यम से आत्मसात कराए जाते हैं। भारतीय समाज में प्रारंभ से ही संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है और इसी के इर्द-गिर्द समाज का ताना-बाना बुना जाता था। आज प्रत्येक समाज को संयुक्त परिवार के इस मूल्य को अपनाना चाहिए, भारत सरकार ने भी एक कानून के माध्यम से वृद्धों की देखभाल बच्चों द्वारा करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका लाभ भारत को कालांतर में नैतिक रूप से सुदृढ़ व सक्षम नागरिकों के रूप में प्राप्त होगा।

जैसा कि विदित है, कुछ मूल्य समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन कुछ नैतिक मूल्य जो हर परिस्थिति और समय में अपरिवर्तनशील होते हैं; जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, ईमानदारी आदि। आज मानवता को इन्हीं स्थाई नैतिक मूल्यों को अपनाकर अपना वर्तमान स्वरूप बदलना होगा जिसमें अति भौतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता आदि जैसे नकारात्मक मूल्य अधिक प्रभावी हो गए हैं। पर्यावरणीय नैतिकता को अपनाकर सतत विकास को बढ़ावा देना होगा, संसाधनों का विकेंद्रीकरण करके आर्थिक शोषण और अतार्किक भेदभाव को समाप्त करना होगा, महिलाओं को समानता का अधिकार देना होगा, पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार 'नारी तू नारायणी' जैसे आदर्शों की स्थापना करनी होगी तथा जाति, धर्म, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव का अंत करना होगा, तभी मानवता उन आदर्श मूल्यों के अनुरूप हो पाएगी, जैसा उसे होना चाहिए।

Q.6 विवेक सत्य को खोज निकालता है

दर्शन

❖ यदभूतहितमत्यंत तत् सत्यम्'

उपर्युक्त उक्ति का तात्पर्य है 'जो वाक्य सभी प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी हो वही सत्य है'। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने भी सत्य के लिए सबके हित को ही कसौटी माना और सत्य की खोज के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक जिसे बुद्धि भी कहा जाता है और जिसका कार्य विचार करना होता है, जगत के समस्त जीवों में मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है क्योंकि मनुष्य विवेकशील है अर्थात् मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर विचार कर सकता है। पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट के अनुसार "मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ" अर्थात् अस्तित्व उसी का है जो विचारवान है और विचारवान होने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है।

विभिन्न क्षेत्रों में सत्य की खोज का तात्पर्य अलग-अलग होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका अर्थ पारलौकिक सत्ता का अस्तित्व खोजना या उसकी सत्ता स्थापित करना होता है, जिसे सामान्य भाषा में ईश्वर या ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना अत्यधिक कठिन है, अतः इसके लिए दार्शनिकों ने विभिन्न विषयों के बीच भेद करके पारलौकिक सत्ता के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए, "भेद करने की शक्ति ही विवेक है"। वेदांत के अनुसार ब्रह्म को जगत से, पदार्थ को आत्मा से, सत्य को असत्य से पृथक् करने की क्षमता ही विवेक है। महात्मा बुद्ध ने भी जब अपने चारों ओर दुखी लोगों को देखा तो मन में प्रश्न उठा कि क्या संसार में सभी दुखी हैं? दुःख का कारण क्या है? और इसका निदान कैसे होगा? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने तप करके अपने विवेक को विकसित किया और इन प्रश्नों के उत्तर खोज निकाले तथा बौद्ध दर्शन की स्थापना की, जिसके अनुसार समस्त संसार दुःखमय है, इस दुःख का कारण है और दुःख निवारण के मार्ग हैं। इसी प्रकार महावीर, शंकराचार्य, माधवाचार्य और अन्य महान दार्शनिकों ने ईश्वर, जगत, आत्मा आदि के संबंध में विवेकशील विचार प्रस्तुत किये, जिसके कारण द्वैतवाद, स्यादवाद, अद्वैतवाद जैसे दर्शनों का विकास हुआ और दार्शनिक सत्य प्राप्त हो सका।

लेकिन, सत्यान्वेषण केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक आदि में भी किया जाता है। समाज में विभिन्न समस्याएं जैसे शोषण, अत्याचार, भेदभाव आदि प्राचीन काल से ही व्याप्त रहे हैं, जिसका

कारण लोगों में व्याप्त अज्ञान एवं अशिक्षा थी। जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया, लोग अधिक विवेकशील होते गए जिससे लोगों को यह ज्ञान हो गया कि यह कृत्रिम भेदभाव अतार्किक है। विभिन्न समस्याओं व कुप्रथाओं का निवारण भी बुद्धि द्वारा विवेकपूर्ण तर्क व विचार करने के कारण हो सका। राजा राममोहन राय जैसे बुद्धिजीवियों ने समाज में विवेकपूर्ण चर्चा के माध्यम से प्रचलित कुप्रथाओं व रूढ़ियों की आवश्यकता तथा उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न किए, जिसके फलस्वरूप समाज में यह अवधारणा बनी कि धर्म के आधार पर किए जाने वाले दावे सत्य नहीं हैं, बल्कि सत्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राजा राममोहन राय ने समाज में लोगों के विवेक को जागृत किया जिसके फलस्वरूप लोगों के मन में इन रूढ़ियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हुआ और लोगों को सत्य का पता चला, जिसने इन कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहायता की। कुछ इसी प्रकार के प्रयास पूर्व में पाश्चात्य देशों में किए गए जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, जहां पर लोगों में जागरूकता के माध्यम से विवेक के विकास को प्रोत्साहित कर धार्मिक रूढ़िवादिता पर प्रहार करके सत्य ज्ञान को जनता तक पहुँचाया गया।

मध्यकाल में वैज्ञानिक विषयों के संबंध में भी रूढ़ियाँ प्रचलित थीं; जैसे इस जगत का निर्माण एक अलौकिक सत्ता के द्वारा किया गया है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है; आदि लेकिन इन रूढ़ियों को चुनौती देते हुए कुछ विवेकशील विद्वानों जैसे गैलीलियो, कॉपरनिकस आदि ने वैज्ञानिक उपकरणों का विकास करके यह साबित किया कि ब्रह्मांड व पृथ्वी के निर्माण के संबंध में चर्च द्वारा कही गई बातें सत्य नहीं हैं और इसके लिए उन्होंने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए। यदि प्रारंभ में वैज्ञानिक खगोल विज्ञान में अन्वेषण प्रारंभ न करते तो आज बिग बैंग, ब्लैक होल, डार्क मैटर आदि जैसे विषयों के बारे में हम शायद इतना नहीं जान पाते, जितना जानते हैं। क्या होता यदि बीमारियों को ईश्वरीय प्रकोप मानकर उनके निदान के लिए कोई वैज्ञानिक प्रयास नहीं किए जाते? उनके उपचार के लिए सिर्फ ईश्वरीय कृपा ही एकमात्र साधन मान लिया जाता? लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उन बीमारियों पर अनुसंधान किये और उनके सही कारणों और उपचारों को खोज निकाला।

लेकिन, जिस विवेक को सत्य खोजने का माध्यम माना जाता है क्या वह जन्मजात है या उपार्जित है? इस प्रश्न का उत्तर अलग-अलग दार्शनिकों के अनुसार अलग-अलग है। कुछ बुद्धिवादी दार्शनिकों का मानना है कि विवेक जिसे बुद्धि भी कहा जाता है वह जन्मजात होता है क्योंकि मानव को अपने अस्तित्व का ज्ञान जन्म से ही होता है और अस्तित्व बोध विवेकशीलता के कारण ही हो सकता है जबकि कुछ दार्शनिकों के अनुसार विवेक उपार्जित होता है क्योंकि उनके अनुसार यदि किसी मनुष्य को जन्म से ही जंगल में पशुओं के बीच छोड़ दिया जाए तो उसे अपने मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। मानव को अपने मनुष्यत्व का ज्ञान अन्य मनुष्यों को आचरण करता हुआ देखकर ही होता है। इस वाद-विवाद का उत्तर जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य के विवेक के विकास में शिक्षा व प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण

स्थान होता है, हालांकि मनुष्य में ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन यह कहना कि मनुष्य जन्म से ही पूर्णतः विवेकशील होता है, सही नहीं होगा।

वस्तुतः प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सत्य सार्वभौमिक व देश-काल निरपेक्ष होता है? यदि दार्शनिक विचारों को सत्य कहा जाए जैसा कि उनके प्रतिपादक मानते हैं तो यह तथ्य तो स्पष्ट है कि प्रत्येक दार्शनिक विचार की व्याख्या अलग-अलग है; जैसे ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर ही सत्य है जबकि बौद्ध दर्शन के अनुसार ईश्वर की सत्ता नहीं होती बल्कि क्षणिक जगत सत्य है; वहीं शंकराचार्य के अनुसार न तो ईश्वर सत्य है और न ही जगत, बल्कि ब्रह्मसत्य है और केवल उसी की सत्ता है। इस प्रकार की दार्शनिक समस्याओं के निदान के लिए जैनियों ने स्यादवाद का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार प्रत्येक विचार तथा वस्तु देश-काल व परिस्थिति सापेक्ष होती है। यदि कोई विचार आज सत्य है तो यह आवश्यक नहीं कि वह भविष्य में भी सत्य होगा या भूतकाल में सत्य रहा होगा। लेकिन यदि बात गणित व भौतिक विज्ञान के नियमों की, की जाए तो इनके नियम सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जैसे गणित में $2 + 2 = 4$ होते हैं यह तथ्य देश काल और परिस्थिति निरपेक्ष होता है क्योंकि $2 + 2 = 4$ हर स्थिति में सत्य होगा, ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी अभी तक ज्ञात हर परिस्थिति में समान ही होते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सत्य की खोज के लिए विवेक अति आवश्यक है विवेक के अभाव में कोई भी सभ्यता जड़ हो जाएगी। बुद्ध, जैन, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, गांधीजी आदि महापुरुषों ने अपने विवेक का अधिकतम इस्तेमाल करके अपने-अपने क्षेत्र में सत्य ज्ञान की खोज की। लेकिन विवेक का विकास करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को उचित व प्रभावी शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा से विवेक का विकास होता है जो सत्यान्वेषण के लिए साधन का कार्य करता है, वहीं सत्य ज्ञान मनुष्य को अधिक विवेकशील बनाता है, इस प्रकार विवेक और सत्य ज्ञान के बीच एक चक्रीय संबंध स्थापित हो जाता है।

Q.7 व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो

समाज

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इस वाक्य का अर्थ है कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुरूप संपूर्ण समाज की आवश्यकताएं भी होती हैं, इसलिए व्यक्ति कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए इसके बीच का अंतर समाज का भविष्य निर्धारित करता है। किसी भी समाज में आदर्श पुरुष के निर्धारण के लिए इसी मानदंड को अपनाया जाता है क्योंकि एक आदर्श पुरुष वह होता है जो अन्य लोगों स्वयं से ज्यादा महत्व देता है और स्वयं से पहले दूसरों के बारे में विचार करता है। प्रेम, त्याग, न्याय, सहिष्णुता, आत्मसंतोष, परहित आदि एक आदर्श पुरुष के गुण होते हैं।

व्यक्ति की आवश्यकताओं को कई कारक प्रभावित करते हैं; जैसे उस स्थान की भौगोलिक स्थिति जहां वह रह रहा है, यदि व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां अधिक ठंड पड़ती है तो उस स्थान पर सामान्य जीवन जीने के लिए कुछ हद तक शराब सेवन अनिवार्य होता है, लेकिन जिन स्थानों पर तापमान सामान्य होता है, जैसे कि भारत वहां शराब का सेवन करना अनिवार्य नहीं है और यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि अपने आनंद के लिए शराब का सेवन करता है तो वहां के लोग इसे घृणित व वर्जित मान सकते हैं। चूंकि भारतीय समाज के अधिकांश वर्गों में शराब के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पायी जाती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति शराब सेवन को उचित मानता है तो संपूर्ण समाज भी उसे उचित माने। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि गुजरात और बिहार में शराब को सामाजिक बुराई मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इन प्रदेश सरकारों का मानना था कि शराब सेवन के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही थी जिसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी जो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक घातक स्थिति है। कई लोगों ने इस प्रतिबन्ध का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि आनंद के लिए शराब पीना उनका अधिकार है, लेकिन उनका यह अधिकार सामाजिक व्यवस्था के विपरीत होने के कारण उनके इस तर्क को नकार दिया गया और व्यक्ति के उस गैर जरूरी अधिकार के ऊपर संपूर्ण समाज के हित को वरीयता दी गई।

किसी भी समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता है। इन कानूनों का उद्देश्य मानव व्यवहार को तार्किक रूप से विनियमित कर समाज

में संतुलन को बनाए रखना होता है। व्यक्ति के लिए क्या श्रेयस्कर और सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्धारण समाज के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें संहिताबद्ध कर कानून का रूप दे दिया जाता है, व्यक्ति के लिए किए गए यह उपाय ही सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। कई बार लोग अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके यह हित समाज के लिए कितने प्रासंगिक हैं और क्या वाकई में उनके हितों की पूर्ति से सामाजिक उद्देश्य भी पूर्ण हो सकेंगे? इसी के चलते समाज में कई ऐसी प्रवृत्तियाँ प्रचलित हो जाती हैं, जिसका दीर्घकाल में समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे क्या आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संकेंद्रण समाज के लिए हितकारी है? क्या जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव समाज के लिए हानिकारक नहीं है? इन समस्याओं के नकारात्मक प्रभावों से समाज को बचाने के लिए और कुछ वर्गों को छोड़कर बहुसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कई जनहितैषी कानूनों जैसे विभिन्न प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है ताकि इनके माध्यम से व्यक्ति और अंत में समाज का समग्र विकास हो सके।

व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को यथार्थ और आदर्श के अंतर से समझा जा सकता है, यथार्थ वह है जैसा व्यक्ति वर्तमान में है जबकि आदर्श का संबंध व्यक्ति को कैसा होना चाहिए से है। यथार्थ स्थिति समय व परिस्थितियों के अनुसार सदैव बदलती रहती है जबकि आदर्श हमेशा अपरिवर्तित रहता है, आदर्श की वह स्थिति है जो किसी भी व्यवस्था को अनंत काल तक बने रहने में उसे सक्षम बनाती है। वर्तमान परिपेक्ष में देखा जाए तो यथार्थ यह है कि भौतिकतावाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को वातानुकूलन, बड़े वाहन, बड़े-बड़े भवन जैसी पूरक सुविधाएँ, जोकि कतई आवश्यक नहीं हैं, चाहिए जो व्यक्ति के सुखमय जीवन को कथित तौर आरामदेह तो बनाते हैं लेकिन वास्तव में इन सुविधाओं के मूल्यों का आकलन किया जाए तो वर्तमान में उपस्थित कई महत्वपूर्ण संकटों जैसे ग्लोबल वॉर्मिंग, पारिस्थितिकी असंतुलन, खाद्यान्न की कमी के लिए कहीं न कहीं इन सुविधाओं के लिए प्रयुक्त साधन ही हैं। जबकि एक आदर्श स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी केवल उतने ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि उसकी जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और संसाधन दीर्घकाल तक प्रयुक्त करने के लिए संरक्षित रहे ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। इसलिए देखा जाए तो किसी व्यक्ति को वातानुकूलित बड़े भवन अपने लिए आवश्यक लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसकी यह आवश्यकता समाज के लिए हितकारी भी हो।

जिस दौरान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था और पूंजीपति वर्ग द्वारा उत्पादन के लिए अधिकतम संसाधनों का दोहन और सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जा रहा था, उस दौरान कार्लमार्क्स ने पूर्वानुमान लगाया था कि पूंजीवादी व्यवस्था समाज के कुछ ही वर्गों को अधिकतम लाभ प्रदान कर रही है, इसलिए यह संपूर्ण समाज के हित में नहीं है और जब

इस व्यवस्था से शोषित वर्ग खिन्न हो जाएगा तब सामाजिक क्रांति होगी और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तित कर दी जाएगी। चूंकि कार्लमार्क्स ने यह भविष्यवाणी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के आधार पर की थी, इसलिए हम देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक समय के बाद संपूर्ण विश्व में क्रांतियां हुईं और नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो वह सामाजिक व्यवस्थाएं जो संपूर्ण समाज के हित में नहीं होतीं, चाहे वह कुछ वर्गों के लिए लाभदायक हो, उन्हें परिवर्तित कर ही दिया जाता है।

क्योंकि सामाजिक ताना-बाना ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है, इसलिए सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन है। यदि इनमें से कुछ व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन या उनमें ह्रास होगा, जिसके कारण सामाजिक ताने-बाने में व्यवधान उत्पन्न होगा और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी इसलिए प्रत्येक सभ्य समाज में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी आरोपित किए जाते हैं ताकि वह किसी अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न कर सके और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यदि बात अधिकारों की जाए तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार होते हैं, यह अधिकार यह बताते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है जैसे यदि किसी व्यक्ति को जीवन में प्रगति करनी है तो उसे शिक्षित होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है जब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से समाज भी उन्नति करेगा, इस प्रकार शिक्षा का अधिकार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है।

निष्कर्षतः देखा जाए तो जिस प्रकार ईंटों के अस्तित्व के बिना भवन का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यक्ति के अस्तित्व के बिना समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए यदि समाज की इकाई व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बेहतर नागरिक अति आवश्यक है। ऐसा कुछ भी जो समाज के लिए हानिकारक हो व्यक्ति के लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता, यदि हमें पूरी मानव जाति का भला करना है तो इसके लिए समाज का भला करना होगा और समाज का भला तभी हो सकता है जब हम व्यक्तिगत लालच से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज को साध्य मानते हुए स्वयं का साधन के रूप में उपयोग करेंगे।

Q.8 स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं

दर्शन

“ मनुष्य गलतियों का पुतला है” और “गलतियां इंसान से ही होती हैं” इन दो लोकोक्तियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य से कभी न कभी गलतियां अवश्य होती हैं और इससे यह भी स्पष्ट है कि सभी को इस बात का एहसास है कि वह गलतियां करते हैं। आज समाज और मानव जिस अवस्था में है उसका कारण ही यह है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास है और वह निरंतर इनमें सुधार करते हुए आगे बढ़ता है। संसार में प्रत्येक सफल इंसान की सफलता का कारण उसके द्वारा किए गए अथक प्रयास और उन प्रयासों की असफलता में सुधार करने की निष्ठा ही है। अपने प्रयासों में असफलता और सुधार की निष्ठा केवल व्यक्ति ही नहीं, अपितु राष्ट्रों की समृद्धि और सफलता के लिए भी आवश्यक है।

जब कोई वैज्ञानिक नए आविष्कार या खोज करने के प्रयास करते हैं तो उन्हें कई बार असफलता हाथ लगती है, लेकिन वैज्ञानिक इन असफलताओं से डरते वह घबराते नहीं हैं और असफलताओं के कारणों को खोज कर उनमें सुधार करके पुनः प्रयास करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन लेकिन जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सकारात्मक रूप से जवाब देते हुए कहा कि मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चल गए हैं, जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। थॉमस एडिशन इसी जज्बे के कारण वे बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो सके क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके तरीकों में कमी है और उन्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि एडिशन अपने तरीकों में कमी को स्वीकार नहीं करते और उनमें सुधार नहीं करते तो वह कभी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार इसरो भी आज सफलताओं की ऊँचाइयों को छू रहा है तो इसका कारण भी वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर सुधार करते हुए बारंबार प्रयास करते रहना ही है।

व्यक्ति की ही तरह कोई समाज या राष्ट्र भी जब तक अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें ठीक नहीं करता तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता, जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपनी गलती को स्वीकार न करने के कारण पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पर खड़ा है और दूसरी तरफ वह FATF की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किए जाने के खतरे का सामना कर रहा

है। यदि पाकिस्तान यह मान ले कि वह आतंकवाद का पोषक है और अब वह अपने यहां से आतंकवाद को समाप्त करके देश का विकास करने के लिए प्रयास करेगा तो सभी देश पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आगे आएंगे, जिससे पाकिस्तान के लोगों का जीवन बेहतर हो सकेगा। इसी प्रकार मध्य पूर्व के कई देश अपनी रूढ़िवादी मानसिकता को अभी तक सही मानते हैं और उसी के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करते हैं जिसके कारण यह देश अभी भी कई मायनों में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, हालांकि अरब के कुछ देशों में पेट्रोलियम की अकूत संपदा के कारण आर्थिक समृद्धि तो हो गई है, लेकिन यह देश विकसित नहीं हो सके क्योंकि विकास के लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र, लैंगिक समानता आदि नागरिकों को प्रदान करने में असफल रहे हैं। यदि यह देश यह स्वीकार करें की इनके रूढ़िवादी मूल्य वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं है और उनमें सुधार करने या उन्हें बदलने की आवश्यकता है तो यह देश भी विश्व के अन्य विकसित देशों की तरह समृद्ध व खुशहाल हो सकते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अशोक महान को कलिंग युद्ध की विभीषिका देखकर यह एहसास हुआ कि उनका युद्ध करने का निर्णय गलत था जिसके कारण लाखों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए सम्राट अशोक ने हिंसा का सदा के लिए त्याग कर दिया और अपने राज्य में सभी प्रकार की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा स्वयं अहिंसा के प्रचारक बन गए। सम्राट अशोक द्वारा समाज से हिंसा को समाप्त करने की निष्ठा के कारण ही भारतीयों में अहिंसा जैसे महत्वपूर्ण मूल्य का समावेश हो सका और कालांतर में बौद्ध धर्म के माध्यम से यह विचार संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया गया। लेकिन दूसरी ओर मध्यकाल में यूरोपीय समाज के चरित्र को देखने से पता चलता है कि यूरोप के अधिकांश देश शोषक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अलग-अलग देशों पर अधिकार कर वहां की जनता को गुलाम बनाया और उनका असीमित शोषण किया। इन यूरोपीय देशों की अति लालसा के कारण ही संसार को दो विश्व युद्धों की विभीषिका झेलनी पड़ी, उसके बावजूद भी इन देशों के शासकों ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इन विश्व युद्ध का कारण उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, इसके स्थान पर वे एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। यदि यह देश अपने चरित्र की वास्तविक और अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को स्वीकार कर साम्राज्यवाद का विस्तार न करते तो शायद विश्व आज कई समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता।

यहां दो पहलू महत्वपूर्ण हैं एक स्वीकारोक्ति का साहस और दूसरा सुधार करने की निष्ठा, लेकिन सफलता के लिए इन दोनों पहलुओं की आवश्यकता होती है। यदि सुधार करने की निष्ठा के बिना स्वीकारोक्ति का साहस आ भी जाए तो भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार यदि सुधार करने की निष्ठा हो, लेकिन स्वीकारोक्ति का साहस नहीं हो तो भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति में कुछ करने का सामर्थ्य तो जरूर होता है, लेकिन वह अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार

नहीं करता क्योंकि उसे यह लगता है कि ऐसा करने से लोग उसका उपहास करेंगे और उसे लज्जित होना पड़ेगा। विकसित देश उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन कर रहे हैं और उसके कारण जलवायु परिवर्तन का संकट संपूर्ण विश्व पर मंडरा रहा है, लेकिन यह देश यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जलवायु परिवर्तन में उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन का सबसे अधिक योगदान है, बल्कि यह देश भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को इन समस्याओं के लिए दोषी मानते हैं और अपने उत्सर्जन में कमी न करके भारत व चीन पर इसके लिए दबाव बनाते हैं; उदाहरण के तौर पर पेरिस जलवायु सम्मेलन से अमेरिका जैसा बड़ा उत्सर्जक पीछे हट गया है जिसके कारण पर्यावरण सुरक्षा का प्रयास और असफल होता नजर आ रहा है। यदि यह देश यह स्वीकार लें कि इनके द्वारा अत्यधिक उत्सर्जन किया जा रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

अंत में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए यदि सच्चे मन से प्रयास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, चाहे इसके लिए कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन जब तक गलतियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की निष्ठा साथ-साथ उपस्थित नहीं होगी, सफलता प्राप्त करना असंभव होगा। यह दोनों पहलू एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों पहियों का साथ में कार्य करना आवश्यक है, यदि इनमें से कोई एक और अक्रियाशील हो और दूसरा चाहे जितना ही मजबूत क्यों न हो गाड़ी का चलना असंभव है।